27-1-16

हीरालाल ... नि. अंकमल वा...

15/6/17 पत्रावली लोक अदालत
केन्द्र आंवल हेतु में पेश हुई।
वादी द्वारा उपस्थित होकर जाहिर
किया कि मेरे व प्रतिवादीगण के
आपसी राजीनामा हो चुका है इसलिए
अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही
नहीं चाहती हूं चूंकि इस पत्रावली में
अन्य पत्रावलियाँ प्रकरण नं. 146/दावा/06
उमराव रामप्यारी u/s प्रभु वगैरह;
प्रकरण नं. 70/दावा/06 रामकिशन u/s मोतीलाल
वगैरह, प्रकरण नं. 69/दावा/06 श्री लाल u/s
मोतीलाल एवं प्रकरण नं. 71/दावा/06 उमराव
रामप्यारी u/s मोतीलाल वगैरह की सैटलमेंट
की हुई थी। अन्त सभी प्रकरण वर्ष 2006
के हैं तथा यह पत्रावली 2005 से जारी
है जिसे चलते 12 वर्ष से अधिक का
समय हो चुका है इस पत्रावली की संबंधित
पत्रावलियों भी 2006 अर्थात 11 वर्ष

PTO

से जोत रहा है। इस वाद से सम्बन्धित एक अन्य वाद सं० 62/दीवा/14 उनवान मौजीलाल व शान्तिबाई वगैरह धारा 53 RTAct में वर्तमान खाते के अनुसार सभी खातेदारों ने अपने अपने हिस्से की आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज करने में अपनी सहमति व्यक्त करने से उक्त वाद में मुताबिक रेकार्ड प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। इस वाद में पक्षकार लम्बे समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं और किसी प्रकार की कारवाही भी नहीं कर रहे हैं। आज स्वयं वादनी ने उपस्थित होकर जाहिर किया है कि वह अब वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है इसलिए वाद की कार्यवाही ड्राप कर दी जावे अतः वादनी के अनुरोध पर वाद की कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
मनोहरथाना (झालावाड़)

Scanned by CamScanner